श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक – 07.01.2019 को राज्य के सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति पंजी के अनुसार –

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गई। बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए गए:–

- **अव्यवहृत राशि जमा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना** – समीक्षा के क्रम में सभी नगर निगमों एवं नगर परिषदों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद की वैसी आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और निगमों/परिषद्ों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसकी शत–प्रतिशत राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली बैठक तक विभाग को समर्पित किया जाए।
- **लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र** – समीक्षा के क्रम में नगर निगमों/परिषद्ों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया गया कि जिस नगर निगमों/परिषदों में ए.सी./डी.सी. विपत्र लंबित है, उसका समायोजन कराने का उत्तरदायित्व उसी नगर निकायों का है। इसके लिए नगर निगमों/परिषद्ों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि लंबित ए.सी. राशि का डी.सी. विपत्र शीघ्र महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसका समायोजन कराने हेतु किसी कर्मी को प्राधिकृत किया जाए जो महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर उसका समायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र अगली बैठक

में विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसका अनुपालन कर अगली बैठक में समर्पित कर दिया जाएगा।

- **लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन** – समीक्षा के क्रम में निगमों/परिषदों के प्रतिनिधियों द्वारा लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले० प०), बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक – 09.01.2019 से 30.01.2019 तक का समय निर्धारित किया गया है:–

(लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष)	अनुपालन का निर्धारित समय
नगर परिषद्, महनार – 623/2010–11	09.01.2019
नगर परिषद्, सीतामढ़ी – 95/2001–02, 206/2007–08	10.01.2019
नगर निगम, गया – 1204/2014–15, 1601/2015–16	15.01.2019
नगर परिषद्, बीहट – 1193/2015–15,	16.01.2019
नगर परिषद् डुमरांव – 665/2010–11, 612/2014–15, 275/2016–17, सासाराम – DLFA-56/2016–17, डेहरी डालमियानगर – 81/2014–15,	17.01.2019
नगर परिषद्, सुपौल – 1776/2015–16, बांका – 688/2011–12, 463/2013–14, 774/2017–18	20.01.2019
नगर निगम, पूर्णिया – 1769/2015–16, 288/2017–18 नगर परिषद्, नवादा – DLFA-61/2015–16, विक्रमगंज – 523/2007–08, 188/2010–11, सीतामढ़ी – 672/2017–18	21.01.2019
नगर परिषद्, जहानाबाद – 278/2016–17	25.01.2019
नगर निगम, बेगूसराय – 392/2011–12, 152/2016–17, बिहारशरीफ – 1191/2016–17, 137/2016–17, नगर परिषद्, नरकटियागंज – 117/2013–14, 221/2016–17, बीहट – 650/2017–18, औरंगाबाद – 207/2006–07, फरबिसगंज – 1001/2016–17, किशनगंज – 261/2016–17, समस्तीपुर – 482/2014–15, 750/2017–18, बाढ़ – 598/2008–09, 736/2014–15, मोकामा – 614/2009–10, अररिया – 163/2011–12, 107/2016–17, खगड़िया – 728/2014–15, 706/2017–18, सुल्तानगंज – 1316/2015–16, खगौल – 31/2001–02, 605/2006–07, बरबीघा – 621/2008–09, 6871/2011–12, दाउदनगर – 1308/2015–16, 658/2010–11, फतुहा – 02/2009–10, 1249/2015–16, बेतिया – 815/2017–18, 82/2013–14, 547/2010–11, सहरसा – 90/2006–07, 07/2008–09, 320/2016–17, मसौढ़ी – 244/2008–09, 917/2013–14, 806/2014–15, 269/2016–17, बगहा – 196/2008–09, 127/2011–12, 241/2015–16, अरवल – 1138/2014–15, 262/2016–17, 1168/2016–17, सिवान – 557/2007–08, 858/2009–10, 8015/2014–15, 183/2016–17, मोतिहारी – 686/2013–14, 1170/2015–16, DLFA-12/2015–16, 271/2016–17	30.01.2019

- समीक्षा के क्रम में विभागीय पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा – 07 को निदेश दिया गया कि जिन नगर निगमों एवं नगर परिषदों में तीन या तीन से अधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है उन नगर निगमों/परिषदों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण पूछा जाय।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2013–14 की कंडिका 5.7 जो मोबाईल कम्पनियों व भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, कटिहार, नगर परिषद्, मधेपुरा, सिवान एवं बेतिया द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 18.34 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निगमों/परिषदों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2014–15 की कंडिका 5.10 जो मोबाईल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, बेगूसराय, दरभंगा, नगर परिषद्, औरंगाबाद, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 6.33 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निकायों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की गई तथा उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा लंबित कंडिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। उक्त के आलोक में वर्षवार

एवं कंडिकावार लंबित सूची को विभागीय ईमेल के माध्यम से दिनांक–14.01.19 को सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया गया है।

- बहुत सारे नगर परिषद (बख्तियारपुर, बेनीपुर, भभुआ, ढ़ाका, हाजीपुर, जमुई, लखीसराय, फुलवारीशरीफ) एवं नगर निगम (भागलपुर, छपरा, कटिहार, पटना) के प्रधान लिपिक/कर्मी की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि यदि अगली बैठक में वे अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मी एवं कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

25.01.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-07/विविध-03/2018 17 पटना दिनांक 25/01/19

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सादर सूचनार्थ।

25-01-19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-07/विविध-03/2018 17 पटना दिनांक 25/01/19

प्रतिलिपि– संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम/सभी नगर परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. इस आशय की सूचना अपने निकायों के कर्मियों/प्रतिनिधियों को देते हुए बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन कराते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाए।

25-01-19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग